उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः–5153/नौ–5–2017–371सा/2017
लखनऊः दिनांकः20 नवम्बर, 2017

कार्यालय–आदेश

भारत सरकार द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवमेंट ई–मार्केटप्लेस (Gem) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन से निर्गत शासनादेश संख्या–11/2017/523/18–2–2017–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल को उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता हैः–

Sr. No	Role	Designation	Name of Organization
1.	Primary User	निदेशक	उ0प्र0 नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ
2.	Verifying Officer	प्रमुख सचिव	नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. उपरोक्त प्राइमरी यूजर Gem (http://gem.gov.in/auth/register) पर पंजीकरण करा लेंगे।

3. यदि एक अधिकारी उपरोक्त अथवा अधिक संस्थाओं में प्राईमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीन सक्षम वरिष्ठम अधिकारी को ऑर्गेनाईजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।

4. प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगीः–

- आधार नम्बर।
- आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर।
- सरकारी ई–मेल आई0डी0 (nic.in/gov.in domain पर)

5. एक रूपता के लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आई0डी0 का अकांउट नेम/यूजरनेम (@से पूर्व का भाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।

6. शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अत बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

7. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेंथड में शासकीय विभागों द्वारा Other तथा पुनः नीचे के कॉलम में Other को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिग का चयन किया जाए।

8. प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी कि सभी सेकेण्डरी यूजर्स जेम पोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सके।

9. सभी उपयोग कर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

19.11.17
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

U.O Tiwari-2017

<u>संख्या–5153 (1)/नौ–5–17 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, नगयीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव

U.O Tiwari-2017